



सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान पुराना ख० न०  
13 का रकबा 6 बीघा 15 डिस्का से ख० न० 2301  
रकबा 0.37, 2302 रकबा 0.82 हे०, 2303 रकबा  
0.28 हे० कुल रकबा 1.47 हे० बनाये गये।  
जबकी भूमि ख० न० 1301 का रकबा 1 बीघा  
15 डिस्का कुल रकबा 1.68875 हे० शेषा पाए  
या इस प्रकार भूमि का रकबा 0.2175 हे० कर  
अंकित किया गया जो काफिले हुकूमत निद है।

जबकि घटन में प्रतिवादी स० 3 व 4 ने  
प्राथमिक के कथनों को गलत बताते हुए।  
प्राथमिक अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज  
किया जान का निवेदन किया।

एतने वदत उपप पञ्चकारण हुमी  
पनावली व पनावली पर उपलब्ध शेष  
रिहाई का अफलोकेन किया गया। मामला  
रकबा हुकूमत का है। काद पत्र तथमीलदार  
खण्डेला से विपरीत। जबकि नहीं आया है।  
जबकि काद होने पर उचित निर्णय तक पहुँचा  
जाना लगेगा। जबकि उपप पञ्चकारण का भूमि  
काद के निर्णय तक पाबन्द किया जाना उचित  
होगा और ता सोराने काद उपप पञ्चकारण  
को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया  
जाता है कि काद गत भूमि ख० न० 2300  
रकबा 0.2175 तक गत खण्डेला के रिहाई की  
मथा स्थिति बनाए रखे। पनावली फंक्शन  
for —

तारीख हुयम

हुयम या कार्यवाही मय लफुडस्ताक्षर जज



शुक्राद होम नम्बर से मम हो बाद नम  
मम वाड के साथ एक फिरो हो

15-11-13  
रणजीत सिंह  
उपस्थित अधिकारी  
राजेश्वरी (सिंह)